भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2405

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2024

लोधी समुदाय

2405. सुश्री प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाट समुदाय को पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन नहीं होने के बावजूद केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग द्वारा ऐसे किसी प्रतिवेदन की कमी के कारण लोधी समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) समावेशन प्रक्रिया में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) मंत्रालय राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग सूचियों और केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची के बीच विसंगतियों को किस प्रकार दूर करता है, विशेषकर लोधी समुदाय जैसे मामलों में जिन्हें राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है परन्तु केन्द्रीय स्तर पर नहीं;

(ड.) केंद्रीय ओबीसी सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशिष्ट मानदंड और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं;

(च) लोधी समुदाय की स्थिति इन मानदंडों के अनुरूप किस प्रकार होगी; और

(छ) लोधी समुदाय को केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने तथा उसकी समीक्षा करने के लिए मंत्रालय द्वारा वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): जाट समुदाय को वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सिफारिश के अनुसार राजस्थान राज्य (भरतपुर और धौलपुर जिलों को छोड़कर) के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोधी समुदाय को अन्य पिछडे वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है।

(घ) से (छ): अनुच्छेद 342क (3) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, विधि द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी। इस प्रकार राज्यों के पास ओबीसी की अपनी अलग सूची है जो केंद्रीय सूची से अलग है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में किसी भी जाति को संविधान के अनुच्छेद 342क (2) के प्रावधानों के अनुसार शामिल किया जाता है।

******